<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सी) संख्या 1372/2008</u>

याचिकाकर्ता : विजय वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण : देना बैंक और अन्य

आदेश हेतु सूचीबद्ध दिनांक:
19/03/2008 को सूचिबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर
रिट याचिका (सी) संख्या 1372/2008

याचिकाकर्ता : विजय वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण (उपक्रमों का : 1. देना बैंक बैंकिंग कंपनी अतिन और अंतरण)अधिनियम, 1980 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विधिवत रूप से निगमित एक बैंकिंग कंपनी है, जिसकी अन्य शाखाओं भी है महाप्रबंधक, देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर जवाहर नगर, रायपुर में एक शाखा कार्यालय है।
2. क्षेत्रीय कार्यालय (रायपुर) उधारकर्ता शिकायत निवारण (सरफेस्ट अधिनियम के तहत) समिति, देना बैंक, रायपुर।
3. कलेक्टर, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:
श्री बी.पी. शर्मा, अधिवक्ता : याचिकाकर्ता के लिए।
श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता : उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

---

1. याचिकाकर्ता द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अनुतोषों हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गई है —

क. *आदेश निर्गत कर उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों को यह आदेशित व निर्दिष्ट किया जाए कि वे माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ समस्त प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करें।*

ख. *आदेश निर्गत कर उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों को आदेशित व निर्दिष्ट किया जाए कि वे* मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड *प्रकरण के कण्डिका 45 में प्रतिपादित विधि के अनुरूप तथा अधिनियम की धारा 13(2) एवं 13(4) तथा नियम, 2002 के नियम 3-क तथा नियम 4, यथासंशोधित, के कठोर अनुपालन में कार्य करें तथा इस प्रकार की शक्तियों के प्रयोग हेतु अपेक्षित पूर्व-शर्तों का पालन किए बिना उक्त दुकानों एवं चल सम्पतियों का कब्ज़ा लेने से उन्हें प्रतिबंधित किया जाए।*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग. *आदेश निर्गत कर उत्तरवादी क्रमांक 2 की समिति का दिनांक 05.10.2007 का निर्णय तथा उत्तरवादी क्रमांक 3, कलेक्टर का दिनांक 11.02.2008 का आदेश, जो कि तथ्यों एवं परिस्थितियों में अवैध, मनमाना एवं विधि के विपरीत है, को अभिखण्डित किया जाए।*

घ. *कार्यवाही का व्यय दिलाया जाए।*

2. संक्षेप में, इस याचिका के निराकरण हेतु आवश्यक तथ्यों का विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी /बैंक ने दिनांक 04 जनवरी 2007 (अनुलग्नक–पी/2) को *संपत्ति के प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002* की धारा 13(2) के अंतर्गत एक अधिसूचना निर्गत की, जिसमें याचिकाकर्ता (जो *अलंकार,*

वर्मा ज्वैलर्स समूह प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई, का जमानतदार है) को निर्देशित किया गया कि वह उसे प्रदत्त दो करोड़ दस लाख तेईस हज़ार रुपए तथा उस पर देय अधिभार ब्याज का भुगतान करे। अन्यथा, बैंक, एक प्रतिभूत लेनदार के रूप में, न्यायालय अथवा अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना, अधिनियम के अध्याय–3 के अंतर्गत प्रदत्त एक अथवा एक से अधिक उपाय अपनाते हुए, बैंक के पक्ष में प्रभारित परिसंपत्तियों का कब्ज़ा अथवा प्रबंधन को अपने नियंत्रण में लेकर अधिग्रहित कर, बैंक का बकाया वसूलने हेतु अपने प्रतिभूत हित का प्रवर्तन करने का अधिकारी होगा।

3. याचिकाकर्ता ने अपने उतरदावा में प्रारंभिक आपत्ति लेते हुए यह आपत्ति किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड प्रकरण में प्रतिपादित विधि के अनुसार बैंक प्राधिकारियों ने समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, बैंक प्राधिकारियों ने गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग हेतु जिला दण्डाधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने बैंक प्राधिकारियों की उपर्युक्त कार्यवाही को चुनौती देते हुए रिट याचिका (सी) क्रमांक 2215/07 प्रस्तुत की, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2007 (अनुलग्नक – पी/4) के आदेश द्वारा ख़ारिज कर दिया गया।

4. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध रिट अपील संख्या 102/07 प्रस्तुत की गई थी और उक्त रिट अपील में उत्तरवादी/बैंक ने वचन दिया था कि वे ईकाई का कब्जा नहीं लेंगे और मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एक समिति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गठित करेंगे। इन परिस्थितियों में रिट अपील को भी 11 अक्टूबर 2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/6) के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई थी, यदि वह ऐसा चाहे/सलाह दिये जाने पर ।

5. इसके उपरांत, बैंक प्राधिकारियों द्वारा गठित समिति ने अपनी बैठक दिनांक 05 अक्तूबर 2007 (अनुलग्नक –पी/5) में, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08 मार्च 2007 के पत्र के माध्यम से, दिनांक 04 जनवरी 2007 (अनुलग्नक –पी/2) की अधिसूचना के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किया तथा निम्नलिखित निर्णय पारित किया —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"5. संबधित सभी विवादित प्रश्नों/ऋणी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुँची कि —

(क) प्रस्तुत आपत्तियाँ निराधार हैं, अतः उपर्युक्त कारणों से उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ख) समिति का निष्कर्ष है कि ऋणी एक ने जानबूझकर ऋण नहीं चुकाया हैं तथा बैंक की वसूली की प्रक्रिया से बचने हेतु निरन्तर विलंबकारी उपाय अपनाता रहा है।

(ग) समिति का मत है कि किसी भी परिस्थिति में लोक-धन इतनी विशाल राशि को जानबूझकर विफल रहने वाले के द्वारा बर्बाद होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(घ) कार्यवाही की एक प्रति बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को प्रदान की जाए, ताकि वह उसको धयान में रखते ऋणी को जवाबदावा देते हुए एक सप्ताह के भीतर सकारण पत्र एक सप्ताह की अवधि में प्रेषित कर सके।"

6. तत्पश्चात, जिला दण्डाधिकारी ने दिनांक 11 फरवरी 2008 (अनुलग्नक – पी/8) को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 14(क), 14(ख) एवं उपधारा 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित तहसीलदार को यह आदेश दिया कि वह बंधक रखे गए आभूषण, दुकानें एवं प्लॉट क्रमांक 2/25, खसरा क्रमांक 2/258, जयराम कॉम्प्लेक्स, मौढापारा, शारदा चौक, रायपुर का भौतिक कब्ज़ा, विधि के अनुसार, अनावेदकगण/याचिकाकर्ता से आवेदक को दिलाया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि बैंक द्वारा गठित समिति ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही औपचारिक ढंग से निर्णय पारित किया, जबकि उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों का यह दायित्व था कि वे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत पूर्व में लिए गए अपने निर्णय को निरस्त करते, और तत्पश्चात ही वे धारा 13(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के विरुद्ध याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार कर सकते थे। बैंक प्राधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अतिरिक्त रूप से, यह भी तर्क किया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में यह उपबंधित है कि यदि प्रतिभूत

लेनदार द्वारा ऋणी को, उसकी अभ्यावेदन या आपत्ति अस्वीकार किए जाने के कारणों की सूचना अथवा प्रतिभूत लेनदार द्वारा संभावित कार्रवाई की सूचना उस अवस्था में दी जाती है, तो केवल इस आधार पर वह व्यक्ति (ऋणी सहित) धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण में आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा। चूँकि प्रतिभूत लेनदार ने अधिनियम की धारा 13(4) में उल्लिखित किसी भी उपाय का सहारा नहीं लिया है, अतः याचिकाकर्ता के पास उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों की कार्रवाई के विरुद्ध, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वर्तमान रिट याचिका दायर करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

9. यह विवादित नहीं है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत याचिकाकर्ता को दिनांक 04 जनवरी 2007 को एक अधिसूचना जारी की गई थी और तत्पश्चात, याचिकाकर्ता की बंधक संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा प्राप्त करने हेतु, धारा 14 के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अवस्था में, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2215/07 इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई कि उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों को यह आदेशित एवं निर्दिष्ट किया जाए कि वे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड प्रकरण में प्रदत्त निर्णय के अनुसार, ऋणीयों के जवाबो पर निष्पक्षतापूर्वक विचार हेतु एक आन्तरिक तंत्र (समिति) का गठन करें तथा उक्त समिति द्वारा निर्णय लिए जाने तक, उत्तरवादी बैंक प्राधिकारियों को, याचिकाकर्ता

के किरायेदार के रूप में ऋणी के कब्ज़े की संपत्ति से बेदखल करने एवं विक्रय जैसे कठोर उपाय अपनाने से निर्देशित किया जाए।

10. उपर्युक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा यह अवधारित करते हुए ख़ारिज किया गया कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत, प्रकरण में क्षेत्राधिकार रखने वाले ऋण वसूली अधिकरण में अपील का प्रावधान है, किन्तु याचिकाकर्ता ने उक्त वैधानिक वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना ही, यह कहते हुए प्रत्यक्ष रूप से इस न्यायालय का द्वार खटखटाया कि उसे कुल बकाया राशि का 75 प्रतिशत जमा करना होगा तथा अधिकरण नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। तथापि, ये परिस्थितियाँ ऐसी अपवादात्मक स्थिति नहीं हैं, जिनके आधार पर इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना उचित हो। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिट अपील को भी यह अवधारित करते हुए ख़ारिज किया गया कि बैंक ने सूचित किया है कि एक समिति का गठन किया जा चुका है, याचिकाकर्ता के प्रकरण का भी निराकरण किय जा चूका है तथा समिति का निर्णय बैंक प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 08.10.2007 को याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया है, अतः अपील निष्फल हो गई है। तथापि, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि यदि वह चाहे अथवा सलाह दिए जाने पर समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त आदेश पारित होने के पश्चात, जिला दण्डाधिकारी ने दिनांक 11 फरवरी 2008 (अनुलग्नक –पी/8) द्वारा, उत्तरवादी गण/बैंक के *गैर-*

निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दायर आवेदन को स्वीकृत करते हुए, संबंधित तहसीलदार को यह निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के कब्ज़े में स्थित चल एवं अचल बंधक संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा, विधि के अनुसार, बैंक को दिलवाए।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का परीक्षण करने के लिए यह उचित होगा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य, प्रयोजन एवं कारणों पर विचार किया जाए।

13. ***ट्रांसकोर बनाम भारत संघ एवं अन्य***[1] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त पहलू पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि — "दायित्व के उपार्जन, दायित्व के निर्धारण, एवं दायित्व के परिसमापन में अंतर है। धारा 13(2) उन परिस्थितियों में दायित्व के परिसमापन से संबंधित है, जहाँ दायित्व के संबंध में किसी विवाद की कोई संभावना नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अपेक्षित विवाद, ऋणी के साथ नहीं है। धारा 11, प्रतिभूत लेनदारों के आपसी अधिकारों से संबंधित है। इसका कारण यह है कि यह अधिनियम इस आधार पर कार्य करता है कि ऋणी का दायित्व सुनिश्चित हो चुका है तथा उसका खाता, बैंक/वित्तीय संस्था के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो चुका है। अधिनियम की धारा 13, प्रतिभूत हित के प्रवर्तन से संबंधित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त निर्णय में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि — "धारा 13(2) का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह इस आधार

[1] (2008) 1 एस.सी.सी 125

पर लागू होती है कि ऋणी पर पूर्व से ही दायित्व है तथा ऋण देय हो चुका है और साथ ही, उसके खाते को बैंक या वित्तीय संस्था की अभिलेख-पुस्तकों में अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि के रूप में, अर्थात गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम तभी प्रभावी होता है जब ये दोनों शर्तें पूर्ण हो चुकी हों। अतः दायित्व के संबंध में किसी विवाद की कोई संभावना नहीं रहती। यदि ऋणी द्वारा प्रतिभूत ऋण का भुगतान नहीं किया जाता, तो धारा 13(2) के अंतर्गत अधिसूचना, मांग-पत्र के रूप में जारी की जाती है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अंतर्गत जारी मांग-पत्र के समान है। किसी खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात, ऋणी को ऋण चुकाने हेतु अंतिम अवसर के रूप में साठ दिवस का समय दिया जाता है। धारा 13 की उपधारा (2), (3) एवं (3-क) की योजना यह दर्शाती है कि धारा 13(2) के अंतर्गत दी गई अधिसूचना मात्र कारण बताओ सूचना नहीं है, बल्कि यह मांग-पत्र है तथा अधिनियम के अंतर्गत की गई एक कार्रवाई है। धारा 13(13) भी इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ करती है कि धारा 13(2) की अधिसूचना मात्र कारण बताओ सूचना नहीं है, बल्कि वस्तुतः यह अधिसूचना एक प्रकार के कुर्क/निषेधाज्ञा के रूप में कार्य करती है, जो ऋणी को प्रतिभूत परिसंपत्तियों के निस्तारण को निशोधित करती है। वास्तव में, चूँकि यह मांग-पत्र एक कार्रवाई के रूप में है, इसीलिए धारा 13(3-क) में ऋणी को प्रतिभूत लेनदार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। धारा 13(2),

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावर्तन से पूर्व एक अनिवार्य शर्त है। धारा 13(2) के अंतर्गत उल्लिखित दोनों शर्तों के पूर्ण होते ही, बैंक अथवा वित्तीय संस्था द्वारा अगला कदम, धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध किसी भी उपाय का प्रयोग करना हो सकता है।"

15. अतः, ऋण की अदायगी के दायित्व के अतिरिक्त, उधारकर्ता यह दायित्व भी ग्रहण करता है कि वह मार्जिन तथा गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों के मूल्य को इस प्रकार बनाए रखे कि बैंक/वित्तीय संस्था के लेखों में परिसंपत्ति एवं देयता के मध्य कोई असंतुलन न उत्पन्न हो। यह दायित्व अदायगी के दायित्व से भिन्न एवं पृथक है। उधारकर्ता का यही पूर्वोक्त दायित्व, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है, जो धारा 13(4) के अंतर्गत निर्दिष्ट उपायों द्वारा इसके प्रवर्तन का प्रयोजन करता है। यही कारण है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम की धाराएँ 13(1) एवं 13(2) इस आधार पर प्रवर्तित होती हैं कि बैंक/वित्तीय संस्था के सुरक्षा हित का प्रवर्तन न्यायालय/अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना शीघ्रतापूर्वक किया जाना आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. वर्तमान प्रकरण में इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता, उधारकर्ता के प्रति, जमानतदार के रूप में खड़ा हुआ, जिसे उत्तरवादी -बैंक द्वारा ₹200 लाख की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। याचिकाकर्ता का खाता अनियमित हो गया। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस की सेवा के उपरांत भी ऋण

की अदायगी नहीं की गई तथा याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया। तत्पश्चात, धारा 13(4) के अंतर्गत नोटिस की तामीली की गई। इसके पश्चात, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह उत्तरवादी -बैंक का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कंपनी द्वारा लिया गया ऋण और गिरवी रखी गई वित्तीय परिसंपत्ति के मूल्य द्वारा आच्छादित ऋण के बीच मार्जिन को, की धारा 13 के अधीन, उचित रूप से बनाए रखा जाये।

17. जहाँ तक याचिकाकर्ता की इस आपत्ति का प्रश्न है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत नोटिस जारी करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस संदर्भ में धारा 13(4) को धारा 17(3) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि यदि याचिकाकर्ता–ऋणी को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं, बल्कि विपरीत रूप से, स्वामित्व/कब्ज़े से वंचित किया जाता है, तो ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.) को पूर्व स्थिति बहाल करने का अधिकार प्राप्त है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विक्रय की पुष्टि से पूर्व यदि कब्ज़ा ले लिया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्ज़ा लेने की कार्यवाही से ऋणी के इस अधिकार का हनन हो जाता है कि वह विवाद का न्यायिक निपटारा करवा सके। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम, कब्ज़े की वसूली के लिए एक गैर-न्यायिक प्रक्रिया का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रावधान करता है; अतः यह कहना कि बिना न्याय निर्णयन के बिना ऋणी के अधिकार समाप्त हो जाएँगे, विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होगा।

18. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, इस न्यायालय का यह विचार है कि याचिकाकर्ता के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत एक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वह उत्तरवादी –बैंक द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति पर कब्ज़ा लेने की कार्यवाही को चुनौती दे सकता है, और यदि उत्तरवादी –बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.) को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अधिनियम अधिनियम की धारा 17(3) के तहत याचिकाकर्ता को संपत्ति का कब्ज़ा पुनः बहाल करने का अधिकार प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका निरर्थक पाई जाती है, अतः यह ख़ारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार, इसे ख़ारिज किया जाता है।

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Akansha Verma Dabhadker

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur